TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

Notification

New Delhi, the 22 January, 2019,

G.S.R. ___ (E). - In exercise of the powers conferred by clause (31) of section 2 and section 73 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government, in consultation with the Reserve Bank of India, hereby makes the following rules further to amend the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Acceptance of Deposits) Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), in clause (c), in sub-clause(xviii), after the words "Infrastructure Investment Trusts," the words "Real Estate Investment Trusts" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 16, the following Explanation shall be inserted, namely:-

"Explanation.- It is hereby clarified that Form DPT-3 shall be used for filing return of deposit or particulars of transaction not considered as deposit or both by every company other than Government company.".

4. In the said rules, in rule 16(A), after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) Every company other than Government company shall file a onetime return of outstanding receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 from the 01st April, 2014 to the date of publication of this notification in the Official Gazette, as specified in Form DPT-3 within ninety days from the date of said publication of this notification along with fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.".

5. In the said rules, in the Annexure, for Form DPT-3, the following Form shall be substituted namely:-

"**FORM DPT-3**

Return of deposits

[Pursuant to rules 3 and 16 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

Form language o English o Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

° Onetime Return for disclosure of details of outstanding money or loan received by a company but not considered as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies(Acceptance of Deposits) Rules, 2014

° Return of deposit or Return for disclosures of money or loan received by a company but not considered as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies(Acceptance of Deposits) Rules, 2014 or both

° Return of deposit

1. (a) *Corporate Identity Number (CIN) [ ] Pre fill
(b) Global Location Number (GLN) [ ]

2. (a) Name of the company [ ]
(b) Registered office address

[ ]

(c) *email id [ ]

3. Purpose of the Form

- o Return of Deposit
- o Particulars of transactions by a company not considered as deposit as per rule 2 (I) (c) of the Companies (Acceptance of Deposit) Rules, 2014
- o Return of Deposit and Particulars of transactions by a company not considered as deposit

4. Whether the company is o Public company o Private company
5. *Whether the company is a government company o Yes o No

6. Objects of the company

7. (a) Date of issue of advertisement or circular

(b) *Date of last closing of accounts

(c) Date of expiry of validity of advertisement or circular

8. *Net Worth as per the latest audited balance sheet preceding the date of the return-

S. No.	Particulars	Amount (in Rupees)
(a) (i)	Paid up share capital	
(ii)	Free reserves	
(iii)	Securities Premium Account	
(b) (i)	Accumulated loss	
(ii)	Balance of deferred revenue expenditure	
(iii)	Accumulated unprovided depreciation	
(iv)	Miscellaneous expense and preliminary expenses	
(v)	Other intangible assets	
(c)	Net worth (a) – (b)	
(d)	Maximum limit of deposits (i.e. 35% of the above in case of all companies other than specified IFSC public companies and private companies)	

9. * Total number of deposit holders as on 1st April

10. *Particulars of deposits (In Rupees)

(a) Amount of existing deposits as on 1st April

(b) Amount of deposits renewed during the year

(c) Amount of new deposits accepted during the year

(i) Secured deposits

(ii) Unsecured deposits

(d) Amount of deposits repaid during the year

(e) Balance of deposits outstanding at the end of the year

11. (a) *Amount of deposits that have matured but not claimed

(b) *Amount of deposits that have matured and claimed but not paid

12. *Particulars of liquid assets

(a) Amount of deposits maturing by the end of the financial year

and in the following next financial year

(b) Amount required to be invested in liquid assets

(c) Details of liquid assets

Particulars	Amount
(a) Amount in current or other deposits account, free from charge or lien, with any scheduled bank	
(b) Unencumbered securities of Central/State Government Face value	
Market Value	
(c) Unencumbered trust securities Face value	
Market value	

13. Particulars of charge

(a) Date of entering into trust deed

(b) Name of the trustee

(c) Short particulars of the property on which charge is created for securing depositors

(d) Value of the property

14. **Total amounts of outstanding money or loan received by a company but not considered as deposits in terms of rule 2(1)(c) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014 as specified in rule 16(A)(3)**

15. Particulars of receipt of money or loan by a company but not considered as deposits, at the end of financial year, in terms of clause (c) of sub-rule 1 of rule 2 of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules,2014

	Amount
(a) Any amount received from - (i) the Central Government; or (ii) a State Government; or any amount received from any other source whose repayment is guaranteed by the Central Government or State Government; or (iii)any amount received from a local authority; or (iv)any amount received from statutory authority constituted under an Act of Parliament or a State Legislature.	
(b) Any amount received from - (i) Foreign Governments; or (ii) Foreign or international banks; (iii) Multilateral financial institutions; (iv) Foreign Governments owned development financial institutions; (v) Foreign export credit agencies; (vi) Foreign collaborators; (vii) Foreign body corporates; (viii) Foreign citizens; (ix) Foreign authorities or; (x) Persons residents outside India subject to the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999).	

(c) Any amount received as - (i) A loan or facility from any banking company; or (ii) From the state Bank of India or any of its subsidiary banks; or (iii) From a banking institution notified by the Central Government under section 51 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); or (iv) A corresponding new bank as defined in clause(d)of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980); or (v) From a cooperative bank as defined in clause (b-ii) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).		
(d) Any amount received as loan or financial assistance from - (i) Public Financial Institutions notified by the Central Government; or (ii) Any regional financial institutions; or (iii) Insurance companies; or (iv) Scheduled Banks as defined in the Reserve Bank of India Act,1934 (2 of 1934).		
(e) Any amount received against issue of commercial paper or any other instruments issued in accordance with the guidelines or notification issued by the Reserve Bank of India.		
(f) Any amount received by the company from any other company.		
(g) Any amount received and held pursuant to an offer made in accordance with the provisions of the Act towards subscription to any securities including share application money or advance towards allotment of securities pending allotment, so long as such amount is appropriated only against the amount due on allotment of securities applied for.		
(h) Any amount received from a person who, at the time of the receipt of the amount, was a director of the company or the relative of the director of a private company.		
(i) (A)Any amount raised by the issue of bonds or debentures secured by a first charge or a charge ranking pari passu with the first charge on any assets referred to in Schedule III of the Act excluding intangible assets of the company; or (B) bonds or debentures compulsorily convertible into shares of the company within ten years.		
(j) Any amount raised by the issue of non-convertible debentures not constituting a charge on the assets of the company and listed on recognized stock exchange as per applicable regulations made by Securities and Exchange Board of India.		
(k) Any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under a contract of employment with the company in the nature of non-interest bearing security deposit.		

(l) Any non-interest bearing amount received and held in trust.

(m) Any amount received in course of , or for the purposes of the business of the company-

(i) As an advance for supply of goods or provision of services accounted for in any manner whatsoever provided that such advance is appropriated against supply of goods or provision of services within a period of three hundred and sixty five days from the date of acceptance of such advance.

(ii) As advance accounted for in any manner whatsoever, received in connection with consideration for immovable property under an agreement or arrangement, provided that such advance is adjusted against such property in accordance with the terms of agreement or arrangement.

(iii) As security deposit for performance of the contract of supply of goods or provision of services.

(iv) As advance received under long term projects for supply of capital goods except those covered under item (b) of sub-clause (xii) clause (c) of sub- rule (1) of rule (2) of the Companies (Acceptance of Deposits) Rules, 2014.

(v) As an advance towards consideration for providing future services in the form of a warranty or maintenance contract as per written agreement, if the period for providing such services does not exceed the period prevalent as per common business practice or five years, from the date of acceptance of such service whichever is less.

(vi) As advance received and allowed by any sectoral regulator or in accordance with directions of Central or State Government.

(vii) As an advance for subscription towards publication, whether in print or electronic to be adjusted against receipt of such publications.

(viii) Any amount brought in by promoters of the company by way of unsecured loans in pursuance of the stipulation of any lending financial institution.

(ix) Any amount received by a Nidhi company in accordance with the rules made under section 406 of the Act.

(x) Any amount received by way of subscription in respect of chit under the Chit Funds Act, 1982(4 of 1982).

(xi) Any amount received by company under any collective Investment scheme in compliance with regulations framed by the Securities and Exchange Board of India.

(xii) Any amount of twenty five lakh rupees or more received by a start up company, by way of convertible note (convertible into equity shares or repayable within a period not exceeding five years from the date of issue) in a single tranche, from a person.

(xiii) Any amount received by a company from - (A) Alternate Investment Funds; (B) Domestic venture Capital Funds; (C) Infrastructure Investments Trusts; (D) Real Estate Investment Trusts; (E) Mutual Funds registered with the Securities and Exchange Board of India.	

Attachments

List of attachments

1. **Auditor's certificate;** Attach
2. **Copy of trust deed;** Attach
   - **(b) Copy of instrument creating charge;** Attach
   - **(c) List of depositors;** Attach
   - (d) **Details of liquid assets;** Attach
   - (e) **Optional attachment, if any.** Attach

Remove attachment

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated * to sign this form and declare that all the requirements of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

*To be digitally signed by **DSC Box**

*Designation

*DIN of the director; or DIN or PAN of the manager or CEO or CFO; or membership number of the company secretary

Note: Attention is also drawn to provisions of sections 448 and 449 of the Act which provide for punishment for false statement and false evidence.

Modify	Check Form	Prescrutiny	Submit

For office use only:

Affix filing details

eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)

This e-Form is hereby registered

Digital signature of the authorising officer Confirm submission

Date of signing (DD/MM/YYYY)

[File No 1/8/2013-CL-V]

22/01/19

(K V R Murty)

Joint Secretary to the Government of India

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 256(E), dated the 31st March, 2014 and were subsequently amended -

(1) vide notification number G.S.R. 386(E), dated the 6th June, 2014;

(2) vide notification number G.S.R. 241(E), dated the 31st March, 2015;

(3) vide notification number G.S.R. 695(E), dated the 15th September, 2015;

(4) vide notification number G.S.R. 639(E), dated the 29th June, 2016;

(5) vide notification number G.S.R. 454(E), dated the 11th May, 2017;

(6) vide notification number G.S.R. 1172(E), dated the 19th September, 2017; and

(7) vide notification number G.S.R.612(E), dated 5th July, 2018.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 22, जनवरी, 2019

सा.का.नि. _______ (अ).– केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 2 के खंड (31) और धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (जमा की स्वीकृति) संशोधन नियम, 2019 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के, उप-नियम (1) के, खंड (ग) के, उपखंड (xviii) में, "अवसंरचना निवेश न्यास", शब्दों के पश्चात् "स्थावर संपदा निवेश न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों में, नियम 16 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"*स्पष्टीकरण.*– यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी द्वारा प्ररूप डीपीटी-3 का उपयोग जमा का विवरण फाइल करने या संव्यवहार के विवरण जिन्हें जमा के रूप में या दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है उपयोग किया जाएगा।"

4. उक्त नियमों में, नियम 16(क) के, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) सरकारी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी किसी कंपनी द्वारा धन या ऋण की बकाया रसीद की विवरणी जिसे जमा के रूप में नहीं माना गया है, तारीख 01 अप्रैल, 2014 से नियम 2 के, उप-नियम (1) के खंड (ग) के अनुसार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से जैसा कि प्ररूप डीपीटी-3 में निर्दिष्ट है, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में, यथा उपबंधित शुल्क के साथ इस अधिसूचना के उक्त प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर फाइल करेगी।"।

5. उक्त नियमों के, उपाबंध में, प्ररूप डीपीटी-3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप डीपीटी-3 **जमा की विवरणी** [कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 3 और 16 के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	

प्ररूप की भाषा o **अंग्रेजी** o **हिंदी**

प्ररूप भरने के लिए निर्देश देखें

o **किसी कंपनी द्वारा प्राप्त बकाया धन राशि या ऋण प्राप्ति के ब्यौरे के प्रकटीकरण के लिए एकमुश्त विवरणी जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के निबंधनों के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।**

o **किसी कंपनी द्वारा प्राप्ति धन राशि या ऋण के जमा की विवरणी या प्रकटीकरणों के लिए विवरणी जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के निबंधनों के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है या दोनों।**

o **किसी कंपनी द्वारा प्राप्ति धन राशि**

1. (क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) ______________________ (पूर्व पूरित)
   (ख) वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन) ______________________

2. (क) कंपनी का नाम ______________________
   (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता ______________________
   (ग) *ई-मेल आईडी ______________________

3. प्ररूप का प्रयोजन
   o जमा की विवरणी
   - किसी कंपनी द्वारा संव्यवहारों का विवरण जिसे कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा के रूप में नहीं माना गया है।

o किसी कंपनी द्वारा जमा की विवरणी और संव्यवहारों का विवरण जिसे जमा नहीं माना गया है।

4. क्या कंपनी है O सार्वजनिक कंपनी O निजी कंपनी

5. *क्या कंपनी सरकारी कंपनी है O हां O नहीं

6. कंपनी के उद्देश्य ______________________________

7. (क) विज्ञापन या परिपत्र जारी करने की तारीख __________

(ख) * अंतिम लेखा बंद करने की तारीख __________

(ग) विज्ञापन या परिपत्र की वैधता समाप्त होने की तारीख __________

8. *विवरणी की तारीख से पहले लेखापरिक्षित अंतिम तुलन पत्र के अनुसार निवल मूल्य-

क्रम सं.	विवरण	रकम (रुपयों में)
(क) (i)	प्रदत्त शेयरपूंजी	
(ii)	मुक्त आरक्षितियां	
(iii)	प्रतिभूति प्रीमियम लेखा	
(ख) (i)	संकलित हानि	
(ii)	स्थगित राजस्व व्यय का शेष	
(iii)	उपलब्ध न कराया गया कुल अवमूल्यन	
(iv)	विविध व्यय और प्रारंभिक खर्च	
(v)	अन्य अमूर्त आस्तियां	
(ग)	निवल मूल्य (क) –(ख)	
(घ)	जमा की अधिकतम सीमा (अर्थात् निर्दिष्ट आईएफएससी पब्लिक कंपनियों और प्राइवेट कंपनियों को छोड़कर अन्य सभी कंपनियों के मामले में उपर्युक्त का 35%)	

9. *01 अप्रैल को जमाधारकों की कुल संख्या __________

10. *जमा का विवरण (रुपये में) __________

(क) 01 अप्रैल को वर्तमान जमा रकम __________

(ख) वर्ष के दौरान नवीकृत जमा रकम __________

(ग) वर्ष के दौरान स्वीकृत नई जमा रकम ____________________

(i) प्रतिभूत जमा ____________________

(ii) अप्रतिभूत जमा ____________________

(घ) वर्ष के दौरान लौटाई गई जमा रकम ____________________

(ड.) वर्ष के अंत में बकाया जमा का शेष ____________________

11. (क) *जमा रकम जो परिपक्व हो गई है परंतु जिसका दावा नहीं किया गया ________

(ख) *जमा रकम जो परिपक्व हो गई है और जिसका दावा किया गया, परंतु भुगतान नहीं किया गया ____________________

12. *नकद आस्तियों का विवरण

(क) वित्तीय वर्ष के अंत में परिपक्व होने वाली जमा रकम और आने वाले आगामी वर्ष में परिपक्व होने वाली जमा रकम __________

(ख) नकद आस्तियों में निवेश करने के लिए अपेक्षित राशि ____________________

(ग) नकद आस्तियों का विवरण

विवरण	रकम
(क) किसी अधिसूचित बैंक में प्रभार या धारणाधिकार से मुक्त चालू या अन्य जमा खाते में राशि	________
(ख) केन्द्रीय/राज्य सरकार की विल्लंगमरहित प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य	________ ________
(ग) विल्लंगमरहित न्यास प्रतिभूतियां प्रत्यक्ष मूल्य बाजार मूल्य	________ ________

13. प्रभार का विवरण

(क) न्यास विलेख पर हस्ताक्षर करने की तारीख ____________________

(ख) न्यासी का नाम ____________________

(ग) संपत्ति जिस पर जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभार का सृजन किया जाना है, का संक्षिप्त विवरण ____________________

(घ) संपत्ति का मूल्य ____________________

14. कंपनी द्वारा प्राप्त कुल बकाया राशि या ऋण की कुल राशि, लेकिन नियम 16(क)(3) में यथा निर्दिष्ट कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(ग) के अनुसार जमा नहीं माना गया। [ ]

15. कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (ग) के अनुसार, वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी द्वारा उस धन या ऋण की प्राप्ति का विवरण जिसे जमा नहीं माना गया ________________

(क) (i) केंद्रीय सरकार; या (ii) किसी राज्य सरकार के द्वारा प्राप्त की गई राशि; या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त धनराशि जिसके प्रतिसंदाय की गारंटी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा है, या (iii) किसी स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त धनराशि; या (iv) संसद या किसी राज्य विधान मंडल के अधिनियम के अधीन गठित किसी कानूनी प्राधिकरण से प्राप्त कोई धनराशि।	[ ] [ ] [ ] [ ]
(ख) (i) विदेशी सरकारों; या (ii) विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय बैंकों; (iii) बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों; (iv) विदेशी सरकार के स्वामित्व वाले विकास वित्तीय संस्थाओं; (v) विदेशी निर्यात ऋण एजेंसियों; (vi) विदेशी सहयोगकर्ताओं; (vii) विदेशी निकाय कारपोरेट; (viii) विदेशी नागरिकों; (ix) विदेशी प्राधिकारी या; (x) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अधीन भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से प्राप्त कोई रकम।	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(ग) (i) किसी बैंककारी कंपनी से ऋण या सुविधा; या (ii) भारतीय स्टेट बैंक या इसके समनुषंगी बैंक से; या (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 51 के अधीन अधिसूचित किसी बैंककारी संस्थान से; या (iv) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित समनुरूप नए बैंक; या (v) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 2 के खंड (ख-ii) में यथा परिभाषित किसी सहकारी बैंक से प्राप्त कोई रकम।	
(घ) निम्नलिखित से ऋण या वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त कोई रकम- (i) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं; या (ii) किन्हीं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाओं; या (iii) बीमा कंपनियों; या (iv) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में यथा परिभाषित अनुसूचित बैंक।	
(ङ) वाणिज्यिक कागजात जारी किए जाने के विरूद्ध या भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों या अधिसूचना के अनुसार जारी किसी अन्य लिखत से प्राप्त कोई रकम।	
(च) किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी से प्राप्त कोई रकम।	
(छ) किसी प्रतिभूति के अभिदान के लेखे अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए किसी प्रस्ताव के अनुसरण में प्राप्त और धारित कोई रकम जिसके अधीन शेयर आवेदन राशि या प्रतिभूति के लंबित आबंटन के प्रति अग्रिम राशि भी है, जहां तक यह धनराशि आवेदन की गई प्रतिभूति के आबंटन के कारण बकाया राशि में विनियोजित की जाती है।	

(ज) कोई व्यक्ति जो रकम की प्राप्ति के समय कंपनी का एक निदेशक या किसी निजी कंपनी के निदेशक का संबंधी था, से प्राप्त कोई रकम।	
(झ)(क) किसी कंपनी की अमूर्त आस्तियों के अलावा अधिनियम की अनुसूची III में निर्दिष्ट किसी आस्ति पर प्रथम प्रभार के साथ प्रथम प्रभार या समरूप प्रभार द्वारा प्रतिभूत बांड या डिबेंचर जारी करके जुटाई गई कोई धनराशि; या (ख) दस वर्ष के भीतर कंपनी के शेयरों में अनिवार्यत: संपरिवर्तनीय बांड/डिबेंचर।	
(त्र) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए लागू विनियमनों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी की आस्तियों पर कोई प्रभार नहीं बनने वाले अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गमन द्वारा जुटायी गई कोई रकम।	
(ट) कंपनी के किसी कर्मचारी से ब्याज रहित प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त कोई रकम जो कंपनी के साथ रोजगार संविदा के अधीन उसके वार्षिक वेतन से अधिक न हो।	
(ठ) कोई ब्याज रहित प्राप्त और न्यास में धारित रकम।	
(ड) कंपनी के कारोबार के दौरान या इसके प्रयोजनार्थ प्राप्त कोई रकम जो - (i) माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी स्वरूप में प्राप्त अग्रिम परंतु उक्त अग्रिम का विनियोजन माल की आपूर्ति या सेवाएं प्रदान करने के प्रति उक्त अग्रिम की स्वीकृति की तारीख से तीन सौ पैंसठ दिन की अवधि के भीतर विनियोजित कर ली जाए।	

(ii)	किसी करार या ठहराव के अधीन स्थावर संपत्ति के प्रतिफल के संबंध में किसी भी प्रकार से प्राप्त अग्रिम लेखा-जोखा, परंतु उक्त अग्रिम, करार या ठहराव के निबंधनों के अनुसार ऐसी संपत्ति के विरुद्ध समायोजित कर ली जाती है।	
(iii)	माल की आपूर्ति या सेवाओं के उपबंध किए जाने के लिए संविदा के निष्पादन हेतु प्रतिभूति जमा के रूप में।	
(iv)	कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ग) के उप-खंड (xii) की मद (ख) के अधीन आने वाले माल के अलावा पूंजीगत माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालीन परियोजनाओं के अधीन प्राप्त अग्रिम के रूप में।	
(v)	लिखित करार के अनुसार किसी वारंटी या अनुरक्षण संविदा के रूप में, भावी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिफल के लिए अग्रिम के रूप में, यदि इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए अवधि ऐसी सेवा की स्वीकृति की तारीख से सामान्य कारबार व्यवस्था के अनुसार विद्यमान अवधि से अनधिक या पांच वर्ष जो भी कम हो, होती है।	
(vi)	किसी क्षेत्रीय नियामक द्वारा केंद्रीय या राज्य सरकार के निदेशों के अनुसार प्राप्त और अनुज्ञात अग्रिम के रूप में।	
(vii)	प्रकाशन के लिए, चाहे वह प्रिंट या इलेक्ट्रोनिक हो, अंशदान के लिए अग्रिम के रूप में ऐसे प्रकाशनों की प्राप्ति के लिए समायोजित की जाएगी।	
(viii)	किसी उधार देने वाली वित्तीय संस्था के अनुबंध के अनुसरण में अप्रतिभूति ऋणों की रीति द्वारा कंपनी के प्रायोजकों द्वारा लाई गई कोई रकम।	
(ix)	इस अधिनियम की धारा 406 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी निधि कंपनी द्वारा प्राप्त कोई रकम।	

(x) चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का 4) के अधीन चिट के संबंध में अंशदान की रीति द्वारा प्राप्त कोई रकम।

(xi) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा तैयार किए गए विनियमों के अनुपालन में किसी सामूहिक निवेश स्कीम के अंतर्गत कंपनी द्वारा प्राप्त कोई रकम।

(xii) किसी व्यक्ति से किसी एकल भाग में परिवर्तनीय नोट (जारी होने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या पुनः भुगतान योग्य), की रीति द्वारा किसी स्टार्ट-अप कंपनी द्वारा प्राप्त पच्चीस लाख रुपये या इससे अधिक की कोई रकम।

(xiii) निम्नलिखित से किसी कंपनी द्वारा प्राप्त कोई रकम-

(क) वैकल्पिक निवेश निधियां;
(ख) घरेलू उद्यम पूंजी निधियां;
(ग) अवसंरचना निवेश न्यास;
(घ) स्थावर संपदा निवेश न्यास;
(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत म्युचुअल फंड।

संलग्नक

संलग्नकों की सूची

1. लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	संलग्न करें	
2. न्यास विलेख की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
3. प्रभार सृजित करने की लिखत की प्रतिलिपि	संलग्न करें	
4. जमाकर्ताओं की सूची	संलग्न करें	
5. नकद आस्तियों का विवरण	संलग्न करें	
6. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो	संलग्न करें	

संलग्नक हटाएं

घोषणा

मुझे, कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा तारीख * ______ के संकल्प संख्या * ______ के माध्यम से इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषणा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है कि इस प्ररूप की विषय वस्तु और इससे अनुषंगिक विषयों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इस प्ररूप के संलग्नकों सहित उपर्युक्त समस्त सूचना सही, सत्य और संपूर्ण है तथा कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई नहीं गई है।

*डिजिटल हस्ताक्षर **डीएससी बॉक्स**

*पदनाम ______

*निदेशक का डिन; या प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ का डिन या पैन; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या ______

टिप्पण: अधिनियम की धारा 448 और धारा 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें मिथ्या कथन और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का उपबंध है।

संशोधित करें **प्ररूप जांचे** **पूर्व संवीक्षा** **प्रस्तुत करें**

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ______

ई-प्ररूप फाइल करने की तारीख ______ (दिन/मास/वर्ष)

यह ई-प्ररूप रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर __________ **प्रस्तुति की पुष्टि करें**

हस्ताक्षर की तारीख ___________ (दिन/मास/वर्ष)"

[फा.सं.1/8/2013-सीएल-V]

के.वी.आर.मूर्ति
22/01/19

(के. वी. आर. मूर्ति)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 256(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

(1) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 386(अ), तारीख 06 जून, 2014;
(2) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 241(अ), तारीख 31 मार्च, 2015;
(3) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 695(अ), तारीख 15 सितंबर, 2015;
(4) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 639(अ), तारीख 29 जून, 2016;
(5) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 454(अ), तारीख 11 मई, 2017;
(6) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 19 सितंबर, 2017; और
(7) अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 612(अ), तारीख 5 जुलाई, 2018 ।